


हरिनाथजी बनाम जमींदार (2023/171)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>ex-parte में जारी है। शगर्दी स. (17) एव (16) एव (19) के जवाब हेतु आरिम् अर्साट हैकट पत्रावली दिनांक 23/1/24 को पेश है।</p> <p>23/1/24 पत्रावली पेश हुई। कानून-कार्य के कारण कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकती। पत्रावली दिनांक 23/1/24 को पेश हो।</p> <p>उपलब्ध अधिकारी। उपलब्ध अधिकारी। उपलब्ध अधिकारी।</p>
	22/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली दिनांक 24.2.25 को पेश हो।</p> <p>उपलब्ध अधिकारी। उपलब्ध अधिकारी। उपलब्ध अधिकारी।</p>
	24/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकती। पत्रावली दिनांक 01/4/25 को पेश हो।</p> <p>उपलब्ध अधिकारी। उपलब्ध अधिकारी। उपलब्ध अधिकारी।</p>
	01/04/25	<p>पत्रावली पेश। क्रीड पत्रकार हरि प्रकरण में अप्राची अधिवक्ता के जवाब पेश नकर सीधे ही बहस छिपे जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में उन्नायपड अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का आवलीकरण करने एवं उन्नायपड अधिवक्ता की बहस पर मगन पश्चात् हम पाते हैं कि वादग्रस्त डारजी शशि खरसा नम्बर</p>

नं० 9 रकबा 0.4299 हे० वाले
 ग्राम कानोला प. ह. कानोला
 तह. कस्बी में प्रार्थीगण एवं
 अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 19
 रिपोर्ट स्वतंत्र कार्रवार है।
 जिसका विधिवत बैरवार नहीं
 हुआ है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण
 स. 1 ता 19 अपने-अपने हिस्से
 पर काबिज है विधिवत बैरवार
 नहीं होने से पड़कर एक दूसरे
 के कब्जे कार्र में देवदंडाजी
 किया करते हैं, जिससे दिनांक-
 26-06-2023 को अप्रार्थीगण प्रार्थीगण
 की की कब्जे कार्र की भूमि को
 मुर्द-मुर्द करने पर आमादा
 हो जाने से प्रार्थीगण पर पेश
 किया है।

अतः आदेश है कि
 प्रार्थीगण का प्रार्थीगण पर उत्तर्गत
 धारा 212 RTA तकिसला मूल
 दावा स्वीकार किया जाकर उभय
 पक्षकारान को पाबन्द किया जाय
 है कि वे वाले ग्राम कानोला
 खसरा नम्बर नं० 9 रकबा 0.4299
 हे० के मीके एवं रिपोर्ट की
 यथास्थिति बनाये रखें। उभयपक्षकार
 अपने-अपने हिस्से पर काबिज
 स्वतंत्र होकर रहने हेतु स्वतंत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>है। पत्रावली नम्बर के क्रम होकर दायरे के दफ्तर हो।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 01/04/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  सखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर </p>